

नीलामी / बिक्री सूचना

सूचित किया जाता है कि बड़ौदा यू.पी. बैंक, संत कबीर नगर (खलीलाबाद) द्वारा वित्तपोषित निम्नलिखित दृष्टि बंधित वाहन जिसको नियमानुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जे में लिया गया है। दिनांक 16.01.2023 को "जैसी है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीलामी किया जायेगा। निम्नलिखित उधारकर्ता को नोटिस दी जाती है की वो नीलामी की तिथि से पूर्व अपना कुल बकाया, ब्याज व अन्य खर्च सहित अदा कर दे। इसमें असफल होने पर उस वाहन की नीलामी कर दी जाएगी तथा बकाया राशि यदि कोई हो तो आपसे ब्याज एवं लागत सहित यह राशि वसूल ली जाएगी।

क्र.सं.	ऋणी का नाम एवं पता	शाखा	वाहन का विवरण	बकाया धनराशि (₹0)	आरक्षित मूल्य (₹0) धरोहर राशि (₹0)
1.	श्री राम समुझ पुत्र बंसराज, श्री जगदीश पुत्र दयाराम एवं श्री परशूराम पुत्र राम समुझ, ग्राम-हसवापार, पोस्ट-गोपालपुर, जिला-संत कबीर नगर	हसनी चौराहा	Tractor- Power Track 4455XLDC Eng.No.- E3303366 Chassis No.- T058273033 Reg. No.- UP58M6812	₹. 2,01,331.20 दिनांक 09.12.2022 तक + ब्याज एवं अन्य खर्च	3,35,000.00 33,500.00
2.	कपिल देव पुत्र राम आधार एवं कैलाशी देवी पत्नी श्री राम आधार, ग्राम-शंकरपुर, पोस्ट-रोरिया बाजार, जिला-संत कबीर नगर	पौली	Tractor- EICHER 333 TRACTOR Eng.No.- S325D86922 Chassis No.- 922914120399 Reg. No.- UP58L0881	₹. 2,31,829.00 दिनांक 09.12.2022 तक + ब्याज एवं अन्य खर्च	1,32,000.00 13,200.00

नीलामी का स्थान-बड़ौदा यू.पी. बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय: मेंहदावल रोड, संत कबीर नगर (खलीलाबाद) – 272175,

निविदा दिनांक-16.01.2023, समय- दोपहर 03.00 बजे

नीलामी की शर्तें— (1) यह नीलामी "जैसी है और जो कुछ भी है" के आधार पर हो रही है। (2) प्राधिकृत अधिकारी की अधिकतम जानकारी व विश्वास तक नीलामी की जा रही है चल-संपत्तियां भार मुक्त हैं। फिर भी इच्छुक आवेदनकर्ता को चाहिए की नीलामी में भाग लेने से पूर्व स्वतंत्र रूप से सभी भार टाइटल क्लेम आदि की स्वयं जांच कर ले। सभी संपत्तियां सभी वर्तमान एवं भविष्य के ज्ञात अथवा अज्ञात भारों के साथ बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी किसी प्रकार के तृतीय / अन्य पक्षकारों के क्लेम अधिकारी एवं देनदारों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। (3) बोली जमा करने से पहले वाहन/ वाहन और निर्देश के बारे में निरीक्षण और संतुष्ट करने के लिए बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी, वे नीलामी की तारीख को पहले वाहन का निरीक्षण कर सकते हैं। (4) बोलीदाताओं को "अधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. बैंक" के पक्ष में डीडी / बैंकर्स चेक के रूप में जमा राशि बोलीदाता के साथ अग्रिम रूप से बड़ौदा यू.पी. बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय मेंहदावल रोड, संत कबीर नगर (खलीलाबाद) में आरक्षित मूल्य का 10% जमा/ संलग्न करना होगा। उच्चतम बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम नहीं होना चाहिए) को सफल बोलीदाता माना जाएगा, असफल बोलीदाता की शेष ईएमडी एक सप्ताह के भीतर बिना ब्याज के वापस भेज दी जाएगी। आवेदनकर्ता द्वारा मोहर बन्द लिफाफे दिनांक 13.01.2023 को शाम 4:00 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे और मोहर बन्द लिफाफे निविदा दिनांक 16.01.2023 को दोपहर 3:00 बजे खोले जाएंगे। (5) सफल बोलीदाताओं की बकाया राशि आंशिक बिक्री प्रतिकूल के लिए रखी जाएगी और असफल बोलीदाता की ईएमडी बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। ईएमडी जमा पर किसी भी स्थिति में कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। (6) सफल बोलीदाता को उसी दिनांक डीडी / बैंकर्स चेक / नकद के रूप में बोलों राशि का 25% (ईएमडी को छोड़कर) जमा करना होगा और शेष राशि का भुगतान बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर सख्ती से करना होगा यदि वह विफल रहता है तो ऐसा करने पर उनके द्वारा पूर्व में जमा की गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा। (7) प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और अधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने या नीलामी को स्थगित / स्थगित / रद्द करने का पूर्ण अधिकार है। (8) सफल बोलीदाता वाहन के लिए देय शुल्क / शुल्क जैसे स्टॉप शुल्क पंजीकरण शुल्क आदि कानून के अनुसार लागू होगा। (9) प्राधिकृत अधिकारी सरकार को किसी भी शुल्क, ग्रहणकार, भार, वाहन कर और/या किसी अन्य देय राशि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा या नीलामी के तहत वाहन के संबंध में कोई भी क्रेता ऐसे बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा (10) किसी भी समय बोली रद्द करने और बिक्री से प्राप्त राशि की वापसी के मामले में बैंक द्वारा प्राप्त राशि पर बैंक कोई ब्याज का भुगतान नहीं करेगा। (11) यदि कोई ऋणी / गारंटर / बंधककर्ता नीलामी से पहले बैंक को पूरा बकाया चुकाते हैं तो नीलामी स्थगित होगी। इस प्रकार उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) / बंधककर्ता(ओं) के पास नीलामी से पहले सुरक्षित परिसंपत्तियों को मुक्त करना का मौका है बशर्त कि वह बैंक को देय पूरी राशि और शुल्क का भुगतान कर दें। (12) बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट, अर्थात <https://www.barodaupbank.in/sarfaesinotice.php> को देखें।

बिक्री के लिए 30 दिन का नोटिस

एहदद्वारा ऋणी / गारंटर / बंधककर्ता को नीलामी से पहले बैंक को उपरोक्त सभी देय राशियों को चुकाने के लिए नोटिस दिया जाता है, यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उपरोक्त संपत्ति को उल्लिखित तिथि को बेच दिया जाएगा और यदि कोई बकाया राशि बची है तो उसे देय ब्याज, शुल्क और व्यय के साथ वसूल किया जाएगा।